

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में बारबेड वायर (कार्टेंदार) मानक टाइप ए-5 (13x4गोज) एवं यूकेलिप्टस के खम्बे, 1.85मीटर लम्बाई, 31-40 से0मी0 गोलाई की आपूर्ति हेतु फर्मों/निर्माण इकाईयों/कम्पनियों/संस्थाओं आदि से डबल बिड प्रक्रिया के अन्तर्गत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड की मोहरबन्द निविदाये रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर तथा स्वयं के द्वारा दिनांक 16.03.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी अथवा मनोनीत/सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दिनांक 13.03.2015 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा संबंधी जानकारी एवं शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

क्र० सं०	सामग्री का नाम एवं साईज	वर्ष 14-15 के लिये आवश्यकता	बन्धक धनराशि	सामग्री आपूर्ति स्थल
1	बारबेड वायर (कार्टेंदार तार) मानक टाइप ए-5 (13x4गोज)	13.5 मी० टन	0.20 लाख	बादशाहीबाग- 4.5 मी०टन मोहण्ड रेंज- 4.5 मी०टन शाकुम्भरी रेंज- 4.5 मी०टन
1	यूकेलिप्टस के खम्बे, 1.85मीटर लम्बाई, 31-40 से0मी0 गोलाई	17400 न०	0.21 लाख	बादशाहीबाग- 5800 खम्बे मोहण्ड रेंज- 5800 खम्बे शाकुम्भरी रेंज- 5800 खम्बे

टैण्डर की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र सम्मिलित है जिसे अलग-अलग बन्द लिफाफो में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिये। दोनों सील बन्द लिफाफो को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर इस कार्यालय को दिनांक 16.3.2015 की अपराह्न 2 बजे तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर तथा स्वयं के द्वारा प्राप्त कराना होगा। निर्धारित समय के बाद निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से, जिस सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा दी जा रही है, उस निविदा सामग्री का नाम अंकित करना होगा। उपरोक्त अंकित दिनांक एवं समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा दर के ऊपर सेलोटैप चिपकाया जाना अनिवार्य होगा तथा निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग न की जाये अन्यथा निविदा की दरों को मान्य नहीं किया जायेगा।
- उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु अलग-2- निविदाये अलग-2- लिफाफो में दी जाये।
- निविदादाता को तकनीकी बिड में निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा- उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, फर्म का वैट नम्बर प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं०, अन्तिम तीन वर्ष की आयकर विवरणी एवं आडिटेड बैलेन्स शीट, जिले के एस०एस०पी० द्वारा पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र, जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र व आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के दो नमूने।
- टैण्डर दाता द्वारा टैण्डर में दिया गया मूल्य अनुमोदित होने पर दिनांक 31.03.2015 तक के लिये मान्य रहेगा, फर्म अनुमोदित दरों पर दि० 31.03.15 तक उक्त सामग्री की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगी।
- टैण्डर दाता को टैण्डर के साथ बन्धक धनराशि संलग्न करनी अनिवार्य होगी, जो अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक हो, बिना बन्धक धनराशि के टैण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- आपूर्ति की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित मानको के अनुरूप होनी चाहिए, सामग्री के मानको के अनुरूप न पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निविदा दाता की बन्धक/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- टैण्डर स्वीकृत होने के पश्चात कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
- टैण्डर दाता को टैण्डर के साथ अपनी फर्म का व्यापार /आयकर रजिस्ट्रेशन संख्या एवं कर निर्धारण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आयकर, स्टाम्प फीस, व्यापार कर की, वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार नियमानुसार, कटौती की जायेगी।

9. आयकर, स्टाम्प फीस, व्यापार कर की, वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार नियमानुसार, फटौती की जायेगी।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी टैण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
11. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा घट बढ़ सकती हैं।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
13. यदि टैण्डर खुलने के दिनांक को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर टैण्डर खोला जायेगा।
14. किसी भी निविदा दाता की निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति, माफिया गतिविधि असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
15. यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सम्भावित निविदा दाता को धमकी दी गई हो अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं टैण्डर डालने से रोका गया हो तो ऐसे अनुबन्ध को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
16. ठेकेदार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निहित प्रतिबन्धों के साथ कार्य क्षेत्र निकटतम रोड हेड तक दुलान करना होगा।
17. निर्धारित मानक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये रेट कान्ट्रैक्ट/डी0जी0एस0एन्ड डी0 रेट से संबंधित फर्मो को वरीयता दी जायेगी।
18. निविदा दर समस्त करो एवं एफ0ओ0आर0 सहित देनी होगी तथा उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा फार्म के साथ सलग्न विशिष्टियों के आगे अपनी दरें अंकित करनी होगी।
19. सर्जन्ट निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(राम राज गौतम)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 शिवालिक वन प्रभाग,
 सहारनपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
 पत्रांक 2525/15-1 दिनांक, सहारनपुर, मार्च 26-2-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2 मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3 मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
- 4 मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, मेरठ।
- 5 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 6 जिलाधिकारी, सहारनपुर।
- 7 समस्त प्रभागीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 8 मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 9 जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 10 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
- 11 जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
- 12 उप प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
- 13 समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
- 14 प्रशासनिक अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
- 15 मानचित्रकार, प्रभारी लेखा शाखा, भण्डार शाखा, प्रभागीय कार्यालय शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
- 16 एन0आई0सी0, कलेक्ट्रेट, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस निविदा सूचना को एन0आई0सी0 जनपद सहारनपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
- 17 नोटिस बोर्ड।

(राम राज गौतम)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।